(129)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/अलीराजपुर/भू.रा./2018/1413 विरूद्ध आदेश दिनांक 08.01.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 475/अपील/16-17.

रघुनाथ पिता इंदरसिंह भीलाला
निवासी ग्राम भोरदु,
तह. व जिला अलीराजपुर ..... आवेदक

विरूद्ध

1. मुकामसिंह पिता स्व. मोतीसिंह भीलाला
   निवासी ग्राम भोरदु, तह. व जिला अलीराजपुर
2. इंदरसिंह पिता स्व. मालसिंह भीलाला
3. मगनसिंह पिता स्व. मालसिंह भीलाला
4. छगनसिंह पिता स्व. मानसिंह भीलाला
5. थानसिंह पिता इंदरसिंह भीलाला
   सभी निवासीगण- ग्राम भोरदु,
   तह. व जिला अलीराजपुर ..... अनावेदकगण

श्री बी.के. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1
श्री गौरव सक्सेना, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 3 व 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/4/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 08.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 5 थानसिंह एवं अन्य अमनसिंह, रमेश एवं कैलाश पिता इंदरसिंह द्वारा तहसीलदार, तहसील अलीराजपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भोरदु में एक खाता कृषि भूमि क्रमांक 147 कुल सर्वे क्रमांक 17 कुल रकबा 10.17 हैक्टेयर वर्तमान में राजबाई पिता जैराम भीलाला एवं आवेदक रघुनाथ पिता इंदरसिंह के नाम शामिल खाते में दर्ज है । राजबाई का निधन हो गया है जोकि उनकी बुआ लगती थी । राजबाई अविवाहित होकर उसका कोई वारिस नहीं है । राजबाई के पिता जैराम द्वारा उनके पिता को गोइद ले रखा था । रघुनाथ जो कि रिश्ते में उनका बड़ा भाई लगता है, उसके द्वारा भूमि उनकी जानकारी के अपने नाम करा ली है । अत: उक्त खाते की भूमि में उनका नाम नामांतरण करने की कार्यवाही करें । इस आवेदन पत्र के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 08/अ-6/11-12 दर्ज कर आदेश दिनांक 04.04.2013 पारित कर संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत राजबाई के फौत होने के कारण उसका नाम कम कर सह खातेदार रघुनाथ पिता इन्दरसिंह का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार के इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व अलीराजपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.03.2014 से निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30.03.2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई, जिसके विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा एक निगरानी राजस्व मण्डल, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसमें आदेश दिनांक 09.03.2017 से प्रकरण पुन: आदेश पारित करने हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया गया। राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 08.01.2018 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) राजबाई अविवाहित होकर अपने पिता जैराम के साथ मृत्युपर्यन्त साथ रही। चूंकि मालसिंह एवं जैराम के बीच कई वर्ष पूर्व बंटवारे होकर प्रश्नाधीन भूमि जैराम के नाम पर दर्ज हुई एवं उसकी मृत्यु के बाद राजबाई पिता जैराम एवं उनकी दो पित्नयों कुंवरबाई एवं दुडीबाई का नाम दर्ज हुआ। इनकी मृत्यु के बाद इनका नाम भू-अभिलेख से कम हुआ । चूंकि जैराम की तीनों लडकियां जानबाई, जैथली व लादु ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की, चूंकि

राजबाई की कोई औलाद न होने के कारण उसने अपने चचेरे भाई इन्दरसिंह का पुत्र रघुनाथसिंह को बचपन से गोद रखा हुआ है, इसलिए राजबाई ने अपनी सहमती से अपने जीवित अवस्था में पंजी क्र. 8 आदेश दिनांक 24.01.1999 के द्वारा अपनी सहमति से आदेश दिनांक 24.01.1999 के द्वारा अपने साथ रघुनाथसिंह के जनक पिता इंदर पिता मालसिंह ने अंगूठा लगाकर अपनी सहमति दी है, उक्त आदेश को किसी के द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई। उक्त पंजी क्रमांक 8 में पारित आदेश अंतिम हो गया था तथा जैराम के किसी वारिस के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

(2) राजबाई पिता जैराम की मृत्यु होने के बाद थानसिंह व अन्य पिता इंदरसिंह ने तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया और अभिकथन किया कि प्रश्नाधीन भूमि में उनका नाम भी शामिल किया जावे, उस पर से तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 08/अ-6/11-12 दर्ज किया । कार्यवाही के दौरान अनावेदक क्र. 1 मुकामसिंह एवं अजमेरसिंह द्वारा यह आपत्ति की गई कि मेरे पिता मोतीसिंह का नाम कट गया था तथा जैराम द्वारा इन्दरसिंह पिता मालसिंह को बेच दिया था। आवेदक द्वारा उक्त आपत्तियों को अस्वीकार कर यह भी अभिकथन किया गया कि रघुनाथसिंह राजबाई के गोदी पुत्र नाते मृत्यु पर्यन्त तक उनके साथ रहा एवं उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। चूंकि राजबाई की मृत्यु दिनांक 29.04.2012 को हो चुकी है। इस प्रकरण में महत्वपूर्ण बात यह है कि राजबाई व इन्दरसिंह की उम्र में करीब 4-5 वर्षों का अंतर होने से राजबाई द्वारा इंदरसिंह को गोद लेने का प्रश्न उपस्थित होता नहीं है। तहसीलदार द्वारा यह माना है कि नामांतरण की कार्यवाही में स्वयं राजबाई एवं इन्दरसिंह पिता मालसिंह का निशानी अंगूठा है। इसलिए आवेदकगण (तहसील न्यायालय में) का इस भूमि से कोई संबंध नहीं है। आवेदक (तहसील न्यायालय में अनावेदक) की ओर से रघुनाथसिंह पिता इंदरसिंह, ज्ञानबाई पिता जैराम, करमसिंह पिता रामसिंह पटेल, मधु पिता खेमा ने शपथ पत्र प्रस्तुत किये, ज्ञानबाई ने अपने शपथ पत्र में यह स्वीकार किया कि राजबाई ने रघुनाथ पिता इंदरसिंह को गोद लिया था और अपनी सहमति से प्रश्नाधीन भूमि पर सहखातेदार के रूप में नाम दर्ज करवाया था तथा करमसिंह पिता रायसिंह पटेल ने उक्त कथन की पुष्टि करते हुए नामांतरण की कार्यवाही में उसने अपने हस्ताक्षर करना स्वीकार किया है, उसी प्रकार मधु पिता खेमा द्वारा भी उक्त कथन की पुष्टि करते हुए नामांतरण की कार्यवाही में अपना निशानी अंगूठा लगाना स्वीकार किया है। इस प्रकार आवेदक रघुनाथ, राजबाई की मृत्यु के बाद उक्त भूमि का एकमात्र स्वामी है।

(3) आपत्तिकर्ता मुकामसिंह ने एक पंचनामे की फोटोकॉपी प्रस्तुत की है, चूंकि उक्त पंचनामा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि उक्त पंचनामा फर्जी है, क्योंकि उक्त पंचनामे में आखिरी पेज में राजबाई पिता जैराम, निवासी भोरदु तहसील व जिला अलीराजपुर किया है, जबकि उक्त पंचनामा दिनांक 15.12.1998 को किया जाना बताया है, जबकि तत्कालीन समय अलीराजपुर जिला झाबुआ में था, जबकि जिला झाबुआ 2008 में बना है, इस प्रकार तहसीलदार द्वारा संपूर्ण साक्ष्य व आपत्तियों पर विचार करते हुए आवेदक का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर दिनांक 04.04.2013 के द्वारा नामांतरण स्वीकार किया गया। उस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि पंजी क्र. 8 में पारित आदेश दिनांक 24.01.1999 के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा उक्त आदेश की कोई चुनौती नहीं दी गई तथा अनावेदक क्र. 1 द्वारा कथित पंचनामा दिनांक 15.12.1998 स्पष्टत: फर्जी पंचनामा बाद में लिखा गया और इस आधार पर उक्त अपील निरस्त की गई, उस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किये गये।

(4) इस निगरानी में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या अनावेदकगण द्वारा पंजी क्र. 8 आदेश दिनांक 24.01.1999 के विरूद्ध कोई अपील की गई थी या नहीं, जबकि उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई थी।

(5) अपर आयुक्त द्वारा मालसिंह और जैराम के बीच बंटवारा होने के बाद प्रश्नाधीन भूमि में जैराम पिता किलान का नाम दर्ज हो गया था और उनकी मृत्यु के बाद उसकी अविवाहित पुत्री राजबाई पिता जैराम व उनकी दोनों पत्नियां कुंवरबाई, दुडीबाई का नाम चढ़ा, उसके पश्चात् कुंवरबाई व दुडीबाई की मृत्यु होने से उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में कम हो गया था, चूंकि द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा केवल मात्र एक पांच साला खसरे निष्कर्ष निकाला, जो कानून से गलत है । अनावेदकगण न तो मृतक जैराम के वारिस है और न ही मृतक राजबाई के वारिस है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का यह कहना विधि के विपरीत है कि संहिता की धारा 110 नियम 3 के अंतर्गत सूचना देना आवश्यक है, जबकि पश्चात्वर्ती रिकॉर्ड में अनावेदकगण हितबद्ध पक्षकार नहीं है तथा अपर आयुक्त को पंजी

क्र. 8 में पारित आदेश दिनांक 24.01.1999 को निरस्त करने का कानून अधिकार नहीं था, इसलिए उनके द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार के बाहर है।

(6) अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये थे, इसलिए द्वितीय न्यायालय को समवर्ती निष्कर्ष में बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप नहीं कर सकता, जब तक निष्कर्ष विपर्यस्त नहीं हो, इस संबंध में 2005 आर.एन. पृष्ठ 212, 2005 आर.एन. 416 एवं 2012 आर.एन. 220 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं। इस आधार पर भी अपर आयुक्त का आदेश कानून से अवैध है।

(7) अनावेदकगण का प्रश्नाधीन भूमि में कोई स्वत्व हो तो उसका निराकरण दीवानी न्यायालय द्वारा कराया जा सकता है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदकगण का कोई स्वत्व व हक नहीं है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ तहसील न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आवेदक द्वारा कपटपूर्वक प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेख में सहखातेदार के रूप में दर्ज कराये गये नाम के आधार पर आवेदक को स्व. राजबाई का दत्तक पुत्र मानने में विधि की गंभीर त्रुटि की है एवं दोनों न्यायालयों द्वारा हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम 1956 एवं उभयपक्षों की सामाजिक रीति अनुसार आवेदक को स्व. राजबाई का गोदी पुत्र होना बिना किसी दस्तावेज या रूढि संबंधी मौखिक साक्ष्य के प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी आदेश पारित करने में विधि की गंभीर त्रुटि की है, जिसे निरस्त किये जाने में अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधि की कोई त्रुटि नहीं की है। इस संबंध में 2009 आर.एन. 104 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(2) अधीनस्थ तहसील एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रमाणित होने के बावजूद भी कि स्व. राजबाई को प्रश्नाधीन भूमि उनके पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी एवं स्व. राजबाई अविवाहित होकर उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी उक्त संपत्ति में आदिवासी रूढी अनुसार उसके पिता व उनके वारिसों का समान अधिकार रहेगा। इस तथ्य पर किंचित

भी विचार न कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया था, जिसे निरस्त किये जाने में अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधि की कोई त्रुटि नहीं की है।

(3) अधीनस्थ तहसील व प्रथम अपीलीय न्यायालय ने संहिता के नामांतरण नियमों के इस प्रावधान की अनदेखी की है कि पूर्व की नामांतरण कार्यवाही में यदि बिना विधि पूर्ण अधिकार के एवं समस्त हितबद्ध पक्षकारों/वारिसों को सूचना दिये नामांतरण आदेश कपटपूर्वक प्राप्त किया गया हो तो उक्त नामांतरण आदेश प्रारंभ से शून्य होता है, जिसे किसी भी प्रक्रम पर चुनौती दी जा सकती है एवं इसमें समय सीमा की कोई बाधा नहीं आती है, जिससे अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाने योग्य है। इस संबंध में 1995 आर.एन. 27 का न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया गया है।

(4) तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक के सगे भाई थानसिंह पिता इंदरसिंह द्वारा प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमियों पर वारिसान नाते नामांतरण किये जाने एवं आवेदक के पिता इंदरसिंह पिता स्व. मालसिंह भीलाला द्वारा स्वयं को स्व. राजबाई के पिता जैराम का गोदी पुत्र बताते हुए प्रस्तुत साक्ष्य से आवेदक का नाम स्व. राजबाई का गोदी पुत्र होना संदेहास्पद प्रमाणित होने के बावजूद भी उक्त साक्ष्य को नजरअंदाज कर तहसील न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अवैधानिक आदेश पारित किये हैं, जिन्हें निरस्त किये जाने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधि की कोई त्रुटि नहीं की है।

(5) अधीनस्थ तहसील व प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस वैधानिक बिंदु पर कोई विचार नहीं किया कि स्व. राजबाई के जीवनकाल में उनके स्वत्व की भूमि के राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम सहखातेदार के रूप में किस विधिक प्रावधान के अंतर्गत दर्ज किया गया, जबकि विधिका सुस्थापित सिद्धांत है कि भूमिस्वामी की मृत्यु के उपरांत ही उसके वारिसों को हक प्राप्त होते हैं एवं संहिता में भी भूमिस्वामी के जीवनकाल में भूमिस्वामी द्वारा अपनी भूमि का बंटवारा अपने वारिसों में संहिता की धारा 178-ए के अंतर्गत ही किया जा सकता है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा स्व. राजबाई के जीवनकाल में कपटपूर्वक बिना किसी विधिक अधिकार के अपना नाम दर्ज कराया था, जिसे निरस्त किये जाने में द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने विधि की कोई त्रुटि नहीं की है।

(6) अधीनस्थ तहसील व प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण पर आई मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य का पूर्ण विवेचन न कर मनमाने तौर पर स्वत्व का निर्धारण कर अवैधानिक आदेश

पारित किया है, जिसे निरस्त किये जाने में अधीनस्थ द्वितीय अपील न्यायालय ने विधि की कोई त्रुटि नहीं की है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदक क्र. 3 व 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अपर आयुक्त द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में उभयपक्षों की समुचित सुनवाई कर प्रकरण के तथ्यों एवं साक्ष्य का पूर्ण विधिक विवेचन कर विधिसम्मत आदेश पारित किया है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने की कानून से कोई आवश्यकता नहीं है।

(2) आवेदक द्वारा प्रकरण में प्रश्नाधीन स्व. राजबाई की भूमियों के राजस्व अभिलेखों में बिना उनके विधिक वारिसों की जानकारी के कपटपूर्वक अपना नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज कराया था एवं उक्त अवैध दर्ज नाम के आधार पर तहसील न्यायालय व प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधि विरूद्ध आदेश पारित किये थे, जिन्हें निरस्त किये जाने में अपर आयुक्त ने विधि की कोई त्रुटि नहीं की है।

(3) अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमियों के राजस्व अभिलेखों में स्व. राजबाई के समस्त वैधानिक वारिसों के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जा चुके हैं, जिससे आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधारहीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अत: उनके द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त किये जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया।

6/ शेष अनावेदकगण प्रकरण में पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

7/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिनांक 24-1-1999 को भूमिस्वामी राजबाई की सहमति से आवेदक रघुनाथसिंह का नाम प्रश्नाधीन भूमि पर सह खातेदार के रूप में दर्ज किया गया है जिसमें अनावेदक इंदरसिंह ने भी सहमति दी है । उक्त आदेश को अनावेदकगण द्वारा चुनौती नहीं दिए जाने के कारण वह अंतिम हो चुका है । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा 7-9-79 को आदेश पारित करके भूमिस्वामी जैराम के स्थान पर वारिसाना नामांतरण राजबाई, कुंअरबाई एवं टुण्डीबाई का नामांतरण स्वीकार किया गया है । उक्त नामांतरण आदेश को भी अनावेदकों द्वारा चुनौती

दिया जाना अभिलेख से परिलक्षित नहीं होता है । दिनांक 24-1-1999 को सहमति के आधार आवेदक को सहखातेदार बनाया गया है तत्समय अनावेदकगण अथवा उनके पूर्वजों द्वारा ना तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति की गई है और ना ही अपने हितों के लिए कोई कार्यवाही की गई है, इससे स्पष्टतया परिलक्षित होता है कि सहमति से जो आदेश पारित किया गया है उससे अनावेदकगण अथवा उनके पूर्वज संतुष्ट थे । अनावेदक क्रमांक 5 एवं उसके तीन भाईयों द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि राजबाई और रघुनाथ के नाम दर्ज है और राजबाई की मृत्यु हो चुकी है जो कि उनकी बुआ है और राजबाई द्वारा उनके पिता इंदरसिंह को गोद लिया था परंतु आवेदक जो कि उनका बडा भाई है उनकी जानकारी के बिना अपना नाम दर्ज करा लिया है । जैसाकि ऊपर विश्लेषण किया गया है कि राजबाई द्वारा अपने जीवनकाल में अनावेदक इंदरसिंह की सहमति से आवेदक रघुनाथ को राजस्व अभिलेखों में सहखातेदार दर्ज कराया गया है । इसलिए प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक रघुनाथ का नाम दर्ज किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित है । क्योंकि अनावेदक क्रमांक 5 द्वारा स्वयं यह स्वीकार किया जा रहा है कि स्व0 राजबाई उनकी बुआ है और उनके द्वारा वर्ष 1999 में तहसीलदार द्वारा राजबाई एवं इंदरसिंह की सहमति से सहखातेदार के रूप् में आवेदक का नाम दर्ज किया गया है जो कि अंतिम होकर अनावेदकगण द्वारा आवेदनपत्र प्रस्तुत करते समय अस्तित्व में था और जब तक उक्त नामांतरण को निरस्त नहीं कराया जाता तब तक अन्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इस प्रकरण में यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि अनावेदक द्वारा एक ओर वारिसाना हक में नामांतरण की मांग की जा रही है वहीं दूसरी ओर अनावेदक मुकामसिंह वगैरा द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर यह भी आधार तहसीलदार के समक्ष लिया गया है कि राजबाई द्वारा एक पंचनामा दिनांक 15-12-98 को लिखवाया गया था कि उसकी मृत्यु उपरांत ग्राम भोरदू के सर्वे नं0 859, 860, 690 की भूमि मुकामसिंह, मोतीसिंह, छगनसिंह एवं मगनसिंह पिता मालसिंह को दी थी, उक्त पंचनामे के संबंध में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विस्तृत विवेचना उपरांत उसे फर्जी पाया है तथा यह कहा कि उक्त पंचनामे में आखिरी पेरा में राजबाई पिता जैराम निवासी भोरदू तहसील एवं जिला अलीराजपुर लिखा है, जबकि 15-12-98 को अलीराजपुर जिला था ही नहीं वह 2008 में बना है । इससे भी यह स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण येनकेन प्रकारेण प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकों की ओर से प्रस्तुत आवेदन/आपत्ति निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है अपर आयुक्त द्वारा अपरोक्ष रूप से जैसाकि उनके आदेश से स्पष्ट है कि दिनांक 07-09-79 के आदेश को

लगभग 35 वर्ष पश्चात निरस्त किया गया है जोकि तत्समय अंतिम हो चुका था और इसके साथ ही तहसीलदार द्वारा दिनांक 24-1-99 को पारित आदेश को लगभग 15 वर्ष पश्चात निरस्त किया गया है जो कि किसी भी दृष्टि से उचित कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-1-18 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26-3-14 स्थिर रखा जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर